न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–14/2014 (2014/00393)

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
प्रेमलता पुत्री बस्ताराम पत्नि दुर्गाचन्द जाति मेघवाल निवासी झालामण्ड राजेन्द्र नगर न्यू हाई कोर्ट के पीछे जोधपुर।		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर। 2.सरपंच ग्राम पंचायत शिकारपुरा। 3.लूम्बाराम पुत्र बस्ताराम 4.मगाराम पुत्र बस्ताराम 5.गोविन्दराम पुत्र बस्ताराम 6.शायरी पत्नि बस्ताराम प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 जाति मेघवाल निवासीगण गांव कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

अपील पत्र अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –

1. अपीलान्ट की और से अधिवक्ता श्री एल आर उपाध्याय।
2. रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 की और से अधिवक्ता सुश्री खुशबु चौहान।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 से 6 की और से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक :– 24.04.2026

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व प्रत्यार्थी संख्या 2 से 4 सगे बहन भाई व प्रत्यार्थी संख्या 5 अपीलार्थी की सौतेली मां है। अपीलार्थी के पिता बस्ताराम ने 2 विवाह किये थे जिसमें प्रथम पत्नि मोहनी देवी थी जिसके दो सन्तान हुई जो एक तो अपीलार्थी दूसरा लूम्बाराम, मोहनीदेवी मृत्यु होने पर स्वर्गीय बस्तारामजी ने दूसरा विवाह सायरी देवी से किया जिससे गंगाराम व गोविन्दराम दो पुत्र हुये व स्वरूप व बलूडी हुई। स्वर्गीय बस्ताराम का स्वर्गवास दिनांक 11.05.96 को ग्राम कांकाणी मे हो गया। उसके पश्चात राजस्व अधिकारियो से मिल कर राजस्व रिकोर्ड मे जायन्दा पुत्रियो के तथ्यो को छुपा कर नामान्तकरण संख्या 777 ग्राम पंचायत शिकारपुरा से स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवा दिया व नामान्तरकरण के साथ जो उत्तराधिकारी दर्शाये गये उसमे भी उक्त तथयो को छुपा दिया गया। जबकि स्वगींय बस्तारामजी का उत्तराधिकारी अपील के बिन्दू संख्या एक में वर्णितानुसार है। अपालार्थी राजस्व अधिकारी से दिनांक 15.12.2019 को मिली व स्वर्गीय बस्ताराम की कृषि भूमि के सम्बन्ध में मिली व जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि प्रत्यार्थी संख्या 2 से 5 मे राजस्व अधिकारी से मिल कर राजस्व रिकोर्ड मे अपने नाम दर्ज करवा दिये व काफी कृषि भूमि को बेच कर खुर्द बुर्द कर दी जिस पर अपीलार्थी ने हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की नकल दिनांक 16.12.2019 को प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकोर्ड में अपीलार्थी व उसके दो बहने स्वरूप व बलूडी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज ही नहीं करवाये। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 777 ग्राम कांकाणी जिसे सरपंच ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा दिनांक 07.03.1997 को अपास्त किया जाकर ग्राम कांकाणी के खेत खसरा संख्या 460/5 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 358 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 359 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 801 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 802 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा भूमि में बस्ताराम

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पुत्र हरजीराम जाति भाम्बी निवासी ग्राम कांकाणी के सभी उत्तराधिकारियो के नाम दर्ज करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया। सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5, 6 की और से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व दिनांक 05.02.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा इनका जवाब बन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की और से अधिवक्ता सुश्री खुशबु चौहान ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनिमय का पेश कर बताया कि अपीलार्थी स्व बस्ताराम की बेटी नहीं है साथ ही प्रार्थीया का जमीन में कोई हक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेन्टस को तंग व परेशान करने के लिये अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे सव्यय खारित की जावें।

3. हमने अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सूनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी दिनांक 15.12.2019 को हुई व जानकारी प्राप्त होते ही उक्त अपील अन्द म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा जान बुझ कर देरी नही की गई जो देरी हुई है उसका कारण अपीलार्थीया को नामानतरकरण की पूर्व में जानकारी नही होने के कारण हुई है। म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त अपील को अन्दर म्याद मानकर गुणवगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जरिये जवाब में प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में दर्ज विवरण सही रूप से अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा 22 वर्ष के लंबे समय बाद अपील पेश की गई है जिसमें विलम्ब बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किया गया है, वो समुचित प्रतीत नही होता है। मात्र यह अंकित किया है कि 15.12.2019 को पटवारी से सम्पर्क करने पर पता चला जो कि इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब को संतुष्ट नहीं करता है। इस प्रकार अपीलांट ने अपील पेश करने में विलम्ब का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम से परिपोषणीय नहीं होने से लिमिटेशन ग्राउण्ड पर खारिज योग्य है। अतः धारा 5 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत लिमिटेशन अधिनियम अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी